उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या- 24/2016/158 /अड़तीस-9-16-05(बजट)/14
लखनऊ : दिनांक- 31 मार्च, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-83** के अन्तर्गत निम्नवत् तालिका के कालम-2 में अंकित लेखा शीर्षक के मानक मद में हो रही कुल बचत रू0 59,00,000.00 (रूपये उनसठ लाख मात्र), जिसका विवरण कालम-3 में है, को पुनर्ग्रहण हेतु वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है:-

आयोजनागत पक्ष **(धनराशि हजार रूपये में)**

क्रं0सं0	लेखा शीर्षक के विवरण	बचत/ समर्पित धनराशि
1	2	3
	"2810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा-आयोजनागत-01-बायो ऊर्जा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के.100/रा.-के.)-27-सब्सिडी"	**5900**
कुल योग-		**5900**

ओम प्रकाश तिवारी
अनुसचिव।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
संख्या- यू0ओ0 ई-2- 395 /दस-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि क़पया उपर्युक्त धनराशि रू0 59,00,000.00 (रूपये उनसठ लाख मात्र) की बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्ग्रहण कर ली गयी है।

आज्ञा से,

राम किशोर पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या- 24/2016/158 (1)/अड़तीस-9-2016 तद् दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
3- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर आयुक्त (लेखा), आयुक्त कार्यालय, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।